

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर - 302015

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल : jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- F4(ई)1(6)अलेसे III / 1091

दिनांक :- 01/05/2018

आदेश संख्या : 45/2018-19

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकारों का स्थानांतरण/पदस्थापन कॉलम संख्या 5 में अंकित कार्यालय में तुरंत प्रभाव से किया जाता है :-

क्र.स. (1)	लिंक नम्बर (2)	नाम (सर्वश्री) (3)	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय का नाम (4)	नव पदस्थापन कार्यालय का नाम (5)	विशेष विवरण (6)
1	9179	चेतन कुमार वासवानी	कुलसचिव , कोटा विश्वविद्यालय (एक्स काडर), कोटा - 1000495	न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वितीय, विधि विभाग, कोटा - 28410	रिक्त पद पर
2	4605	दिनेश नंदन शर्मा	उपायुक्त, श्रम विभाग, अलवर - 10293	न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, विधि विभाग, अलवर - 25940	रिक्त पद पर
3	5985	मदन मोहन स्वामी	संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, बीकानेर - 20187	न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, विधि विभाग, बीकानेर - 3000118	रिक्त पद पर
4	3078	नैन सिंह तंवर	संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, जोधपुर - 906	न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, विधि विभाग, जोधपुर - 3000122	रिक्त पद पर
5	2674	प्रमोद कुमार	संयुक्त निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, उदयपुर - 16919	न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण(द्वितीय), विधि विभाग, उदयपुर - 28413	रिक्त पद पर

उक्त आदेश वित्त विभाग की स्वीकृति दिनांक 01.05.2018 के क्रम में जारी किये जाते हैं।


(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- F4(ई)1(6)अलेसे III / 1091

दिनांक :- 01/05/2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
2. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....को प्रेषित कर लेख है कि सम्बंधित कार्मिक को अविलम्ब कार्यमुक्त कर नव पदस्थापन कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।
3. कोषाधिकारी.....
4. श्रीकनिष्ठ लेखाकार कार्यालयको प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान से कार्यमुक्त होकर कार्यग्रहण काल का उपयोग किये बिना तत्काल नवीन पदस्थापन स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यग्रहण कर सूचना फैक्स अथवा विभागीय ई-मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in पर इस विभाग को भिजवाये।
5. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक I / कार्मिक II / कार्मिक III) कार्यालय हाजा।
6. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
7. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित/निजी पत्रावली।

(शिल्पी कौशिक)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)